प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/12/25	पक्षकारान उप०। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। बहस प्रा० पत्र पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर प्रा० पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को तार्फेसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

तारीख दायरा — 16.05.2024

तारीख फैसला — 23.12.2025

...नं0
...वाद पत्र/2024

1. इनायत हुसेन आ0 श्री मोहम्मद याकूब आयु वर्ष जाति मुसलमान निवासी पेटोल पम्प के पीछे कोटडी, गोरधनपुरा कोटा राज0।
2. शमशुदीन पठान आ0 श्री चॉद मोहम्मद उम्र निवासी पेटोल पम्प के पीछे कोटडी गोरधनपुरा कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

नासिर मोहम्मद आ0 श्री जिन्शी खॉ. जाति मुसलमान निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री अनिल खिडिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :– श्री कुलदीप सिंह गौड

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं. 228 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं. 1424/214 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान में विस्थित है उपरोक्त भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी सं. 2 का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण उपरोक्त हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि पर क्वार्टर बना रखी है पट्टी, फर्शी डाल रखी है तथा शेष भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज होकर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसकी अप्रार्थी सं. 1 को भली भॉति जानकारी है। प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की वाद वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका की अप्रार्थी को अधिकार नहीं है। आज से 15 दिवस पूर्व अप्रार्थी सं. 1 अपने साथ 10–15 व्यक्तियों को लेकर प्रार्थीगण की वाद वर्णित भूमि पर आया तथा प्रार्थीगण को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखल करने तथा कब्जा नहीं छोडने पर जान से मारने की धमकी लगाई तथा प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी लगाई। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थी सं. 1 तथा उसके प्रतिनिधियो के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला मुल वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण को वाद वर्णित भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमा कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 एवं उसके प्रतिनिधि प्रार्थीगण की कृषि भूमि 228 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा स. 1424/214 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. पर जबरन कब्जा नहीं करे प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले, उक्त कार्य न तो स्वंय करे, और ना ही अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को दिलवाये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि है। जिस पर प्रार्थी ने क्वाटर बना रखी है, पट्टी, फर्सी डाल रखी है। शेष भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी प्रार्थीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने तथा कब्जा नही छोडने पर जान से मारने की धमकी देता है। वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि होने से प्रार्थी को अधिकार है कि वह अप्रार्थीगण को ताफैसला मुल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 एवं उसके प्रतिनिधि प्रार्थीगण की कृषि भूमि 228 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा स. 1424/214 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. पर जबरन कब्जा नही करे प्रार्थीगण को बेदखल नही करे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले, उक्त कार्य न तो स्वंय करे, और ना ही अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से करवाये।

दोराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त नही है बल्कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को अप्रार्थी ने मोहनलाल आ0 उदा बंजारा से 2004 में क्रय किया था एवं निर्बाध काबिज है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पत्थर का स्टोक लगा रखा है, दुकाने बना रखी है एवं 6 क्वाटर पक्के, एक ऑफिस बना रखा है। मजदूरो के लिये भी क्वाटर बना रखी है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.05.2004 को एक इकरार नामा 10 बीघा भूमि का, दूसरा इकरार नामा 05.04.2013 को किया है प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.04.2013 को अपने हस्ताक्षर से एक रसीद अप्रार्थी के पक्ष में की हुयी है। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे है वरन अप्रार्थी का ही कब्जा है। जिसकी प्रार्थीगण को भली–भांति जानकारी है। प्रार्थीगण के मन में बदनीयती आ जाने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम होने के कारण अप्रार्थी को भूमि से बेदखल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि झूठे तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी पर दोनो ही पक्षकारों द्वारा पूर्णरूप से कृषि कार्य नही कर उक्त कृषि भूमि को पत्थर स्टाक एवं क्वाटर इत्यादि के उपयोग उपभोग में भी काम लिया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं बहस उभयपक्ष से प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी पर कब्जे, उपयोग–उपभोग एवं अधिकार के संबंध में निर्णय किया जाना इस स्तर पर सम्भव नहीं होकर मूल वाद में कानूनी बिन्दूओं पर साक्ष्य दस्तावेजो के विवेचन पर निर्भर होगा। तब तक पक्षकारों के मध्य शांति एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफेसला वाद पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफेसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि पक्षकार एवं उसके प्रतिनिधि कृषि भूमि 228 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा स. 1424/214 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. पर रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा